

**प्रारूप 28(A)**

**पंजीयन उपरांत प्रति वर्ष दिए जाने वाला विवरण**

1	(1) पंजीयन क्रमांक / पंजीयन दिनांक (2) श्रमिक का नाम	
2	(1) पति / पिता का नाम :- (2) लिंग :- (3) आयु/जन्मतिथि:- (4) मोबाईल न. :-	
3	(1) पता :- (2) नॉमिनी का नाम व सम्बन्ध :- आश्रित का नाम व सम्बन्ध :-	
4	(1) आधार कार्ड :-	
5	(1) पिछले एक साल में किये गए काम की प्रकृति (2) कार्य स्थल (3) वास्तव में निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत दिनों की संख्या :-	
6	(1) नियोजक का नाम :- (2) नियोजक का पता :- (3) उस स्थापना का विवरण तथा स्थिति जहां आवेदक नियोजित है/था।	

7	<p>(1) अवधि के लिए ( कब से कब तक ) :-</p> <p>(2) भुगतान की राशी (भुगतान की रशीद संलग्न करें)</p> <p>टिप:- अगर अवधि अंशदान एक से अधिक वर्षों के लिए है,तो कारणों को उल्लेखित करें :-</p>	<p>----- से -----</p> <p>तक</p>
8	<p>(1) बचत खाते का विवरण जंहा लाभार्थी को भुगतान प्राप्त होगा   ( बैंक का नाम/शाखा/खाता क्रमांक ) (अगर कोई परिवर्तन है)</p>	

**घोषणा :-**

मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य व सही है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत या संदेहपूर्ण पाया जाता है, तो मंडल द्वारा दिए गए सम्पूर्ण आर्थिक सहायता को वापस करने का दायित्व लेता/लेती हूँ। तथा मंडल को अधिकार है, की वह लाभार्थी की सदस्यता समाप्त कर सकता है।

स्थान :-

दिनांक :-

लाभार्थी के हस्ताक्षर

निरीक्षक/पंजीयन अधिकारी

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल नया रायपुर